न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : **151/2020**
GCMS NO. : **2020/00287**

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. जोगीराम पुत्र छगनाराम जाति भाम्बी निवासी ग्राम आ.कालू तहसील जैतारण जिला पाली (राजस्थान)।

1. नरसिंग पुत्र मुलतानराम
2. जस्साराम पुत्र मुल्तानराम
3. राकेश पुत्र मुल्तानराम सभी जातियान बावरी निवासी आ.कालू तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 तथा सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151सी.पी.सी
तारीख रजूः–18.11.2020

उपस्थितः–
1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री तुलछाराम माली, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :: **दिनॉकः–20/06/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आ. कालू चक नम्बर 1 मे सायल के खातेदारी की कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1894/2 रकबा 10–00 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है नकल जमाबंदी 2074 से 2077 की साथ पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे। उपरोक्त भूमि मे गैरसायलान का कोई अधिकार नही है न ही कब्जा है परन्तु सायल के उपरोक्त खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि मे दिनांक 10.11.2020 को कब्जा करने की नियत से अपने टैक्टर से दौ टोली पत्थर डाल दिए तथा ऐलानिया धमकी देकर कहा कि सायल की भूमि में दीवार निकाल कर कब्जा करेगे तथा सायल को बेदखल कर देगे। गेरसायलान झगडालू है तथा संख्या बल मे ज्यादा है सायल के खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा भूमि मे गैरसायलान का कब्जा करने हेतू रोकना आवश्यक हो गया है अन्यथा सायल की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर लेगे तथा सायल को अपनी भूमि उपयोग व उपभोग मे नही लेने देगे। सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मजबूत मामला है सुविधा का संतुलन है तथा गैरसायलान ने सायल के खातेदारी की भूमि मे कब्जा कर लिया पत्थर नही हटाए एंव दीवार बना ली तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति सम्भव नहीं है इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सायल की ओर से गैरसायलान के विरुद्ध पेश है । सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया मजबुत [illegible] है तथा सुविधा का सन्तुलन व बेलेन्स ऑफ कन्वीनियन्स भी सायल के पक्ष मे [illegible] मौजा कालू चक नम्बर एक में सायल की खातेदारी कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1894/2 रकबा 10–00 बीघा आई हुई है जिसमे गैरसायलान का कोई हक अधिकार नही है व सायल की उक्त जमीन मे कब्जा करने की नियत से 10.11.2020 को गैरसायलान ने दो टोली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

पत्थर डाल दिए व ऐलानिया धमकी देकर कहा कि सायल की भूमि मे दीवार निकाल कर कब्जा करेगे व सायल को बेदखल करेगे। अगर गैरसायलान द्वारा सायल की भूमि मे कब्जा कर लिया पत्थर नही हटाए व दीवार बना ली तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सायल की और से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे पत्थर डाल कर दीवार नही बनावे कब्जा नहीं करे व सायल को बेदखल नही करे सायल के उपयोग व उपभोग मे रोक टोक नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के वास्ते रोका जावे। तथा सायल के उपरोक्त भूमि मे जो पत्थर डाले है उन्हे हटवाया जावे दौराने प्रार्थना पत्र कच्चा पक्का निर्माण कर देवे कब्जा कर लेवे तो न्यायहित मे हटवाया जावे। अन्य कोई सहायता सायल के पक्ष में हो दिलाई जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील तुलसाराम माली द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र अवसर बंद किया जाता है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त खातेदारी आराज़ी ग्राम आ.कालू प्रथम के खसरा संख्या 1894/2 रकबा 10–00 बीघा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र के साथ हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। जिस पर उसका कब्जा काश्त है। प्रार्थी की आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा दो टोली पत्थर डालकर कब्जा कर बेदखल करने की धमकी दी है, जिन्हे रोका जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया, प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी ग्राम आ.कालू प्रथम के अनुसार प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। जिसमें अप्रार्थीगण का कोई अधिकार निहित नही हो सकता। चूंकि वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है तथा प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी खातेदार के पक्ष में निहित होना साबित होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है, साथ ही प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित [illegible] है साथ ही यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अभिलिखित खातेदार होने के कारण अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी खातेदार के वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible], जिला-पाली

प्रकार की बेजा दखल कि दशा में अपूर्णीय क्षति प्रार्थी खातेदार को ही होना निश्चित है लिहाजा उपर्युक्त दोनो बिन्दू भली भांति साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा हैं, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी खातेदार के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने तथा खन्दक आदि खुर्द बुर्द करने से रोकने के लिए पाबन्द किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-::आदेश::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भांति साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद ग्राम रास प्रथम तहसील जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1894/2 रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी दोयम में प्रार्थी खातेदार के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, न ही वादग्रस्त आराजी की खन्दक आदि को कोई नुकसान कारित करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 20/06/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:23 IST
Reason: SelfAttested